अनुदान संख्या 86 — ग्रामीण विकास विभाग
GRANT No. 86 – DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPEMNT

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	234019,08,00	290726,11,00	288446,43,96	-2279,67,04
पूरक	Supplementary	56707,03,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2663,47,48

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान में, अभ्यर्पित राशि (₹266347.48 लाख) ₹227967.04 लाख की समग्र बचत से अधिक हो गई।

1. In the grant, the amount surrendered (₹266347.48 lakhs) exceeded the overall savings of ₹227967.04 lakhs.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	5308.00			
पू.	S.	1.00	7214.55	7213.41	-1.14
पु.	R.	1905.55			
मुख्य शीर्ष "2216" आवास	Major Head "2216" Housing				
मू.	O.	519972.00			
पू.	S.	131500.00	641948.89	641948.87	-0.02
पु.	R.	-9523.11			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess+ बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	2456.00	0.06	0.07	+0.01
पु.	R.	-2455.94			
मुख्य शीर्ष "2501" ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Major Head "2501" Special Programmes for Rural Development				
मू.	O.	211967.00	190713.51	190586.30	-127.21
पु.	R.	-21253.49			
मुख्य शीर्ष "2505" ग्रामीण रोजगार	Major Head "2505" Rural Employment				
मू.	O.	12498030.00	17112459.36	17151202.83	+38743.47
पू.	S.	4503900.00			
पु.	R.	110529.36			
मुख्य शीर्ष "2515" अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Major Head "2515" Other Rural Development Programmes				
मू.	O.	56101.00	20601.10	20593.43	-7.67
पु.	R.	-35499.90			
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	769778.00	..	..	..
पु.	R.	-769778.00			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3054" सड़कें और सेतु	Major Head "3054" Roads and Bridges					
मू.	O.	23390.00				
पू.	S.	1.00		22701.50	22474.55	-226.95
पु.	R.	-689.50				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	9083072.00				
पू.	S.	1035300.00		10578616.22	10578616.19	-0.03
पु.	R.	460244.22				
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature					
मू.	O.	231834.00				
पू.	S.	1.00		232008.33	232008.31	-0.02
पु.	R.	173.33				

(I) ₹784182.21 लाख का प्रावधान बत्तीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹782782.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष "2216" – "ग्रामीण आवास" –

(क) "इंदिरा आवास योजना – ब्याज सहायता" – ₹4000.00 लाख – प्रस्तावित कार्यकलापों की शुरुआत न होने और राष्ट्रीय आवास बैंक से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण।

(I) Provision of ₹784182.21 lakhs remained wholly unutilized under thirty two heads; of these ₹782782.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(A) Major Head "2216" – "Rural Housing" -

(a) "Indira Awaas Yojana - Interest Subsidy" - ₹4000.00 lakhs – due to non-initiation of proposed activities and non-receipt of proposals from National Housing Bank.

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" – इंदिरा आवास योजना – 501.00 लाख; और

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – इंदिरा आवास योजना" – 501.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2505" – "ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – सूचना, शिक्षा और संचार" – ₹5002.00 लाख – कोविड–19 महामारी की वजह से मीडिया अभियान का आयोजन न किए जाने के कारण।

(गा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम – प्रशिक्षण – राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान" – ₹1240.00 लाख;

(ख) "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम – अन्य व्यय"–

(i) "ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और जिला आयोजन प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण" – ₹1000.00 लाख;

(ii) "रूरबन मिशन" – ₹6500.00 लाख;

(ग) "स्वरोजगार कार्यक्रम – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन – आजीविका – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹67724.00 लाख;

(घ) "जिला और अन्य सड़कें – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – कार्यक्रम संघटक" – ₹150000.00 लाख;

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Indira Awaas Yojana" - ₹501.00 lakhs; and

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Indira Awaas Yojana" - ₹501.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of proposals from Union Territories.

(B) Major Head "2505" – "Rural Employment Guarantee Schemes – National Rural Employment Guarantee Scheme - Information, Education and Communication" - ₹5002.00 lakhs - due to non-organizing of media campaigns owing to COVID-19 pandemic.

(C) Major Head- "2552" -

(a) "Other Rural Development Programmes – Training – Grants to National Institute of Rural Development" – ₹1240.00 lakhs;

(b) "Other Rural Development Programmes – Other Expenditure" –

(i) "Management Support to Rural Development Programmes and Strengthening District Planning Process" - ₹1000.00 lakhs;

(ii) "RURBAN Mission" - ₹6500.00 lakhs;

(c) "Self Employment Programme – National Rural Livelihood Mission – Aajeevika – National Rural Livelihood Mission" - ₹67724.00 lakhs;

(d) "District and Other Roads – Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - Programme Component" - ₹150000.00 lakhs;

(ङ) "समाज कल्याण – वृद्ध, अशक्त और निराश्रित का कल्याण – राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹67359.94 लाख;

(च) "ग्रामीण आवास – इंदिरा आवास योजना – इंदिरा आवास योजना" – ₹124998.00 लाख;

(छ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना"–

(i) "इंदिरा आवास योजना" – ₹30001.00 लाख;

(ii) "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹4454.47 लाख;

(iii) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹35562.12 लाख।

(ज) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "इंदिरा आवास योजना" – ₹40001.00 लाख;

(ii) "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹20185.59 लाख;

(iii) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹25751.88 लाख; और

(i) "आरक्षित निधियों को हस्तांतरण – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि" – ₹195000.00 लाख।

उपर्युक्त चौदह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और अभ्यर्पित शेष राशि के कारण अप्रयुक्त रहा।

(e) "Social Welfare – Welfare of aged, infirm and destitute – National Social Assistance Programme" - ₹67359.94 lakhs;

(f) "Rural Housing – Indira AwaasYojna – Indira Awaas Yojana" - ₹124998.00 lakhs;

(g) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Indira Awaas Yojana" - ₹30001.00 lakhs;

(ii) "National Social Assistance Programme" - ₹4454.47 lakhs;

(iii) "National Rural Livelihood Mission" - ₹35562.12 lakhs.

(h) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Indira Awaas Yojana" - ₹40001.00 lakhs;

(ii) "National Social Assistance Programme" - ₹20185.59 lakhs;

(iii) "National Rural Livelihood Mission" - ₹25751.88 lakhs; and

(i) "Transfer to Reserve Funds - Transfer to Central Road and Infrastructure Fund" - ₹195000.00 lakhs.

Provisions under the above fourteen heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(घा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाएं – केन्द्रीय सहायता/शेयर – श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन" – ₹3000.00 लाख – राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण।

(D) Major Head "3602" – "Centrally Sponsored Schemes – Central Assistance/Share – Shyama Prasad Mukherjee RURBAN Mission" - ₹3000.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from States/UT Governments.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान प्रत्येक के सम्मुख दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहाः–

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilized to the extent as shown against each: -

(का) मुख्य शीर्ष "2216" – "ग्रामीण आवास – इंदिरा आवास योजना – इंदिरा आवास योजना – कार्यक्रम संघटक" – ₹254984.00 लाख के मूल प्रावधान को मार्च, 2022 में ₹131500.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹386484.00 लाख तक बढ़ा दिया गया था। तथापि, यह कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण ₹4521.13 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head "2216" – "Rural Housing–Indira Awaas Yojna - Indira Awaas Yojana – Programme Component" - the original provision of ₹254984.00 was augmented to ₹386484.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹131500.00 lakhs in March, 2022 which, however, remained unutilized to the extent of ₹4521.13 lakhs - due to receipt of less proposals from implementing agencies.

(खा) मुख्य शीर्ष "2505" "ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" –

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – जिला ग्रामीण विकास एजेंसीज/जिला कार्यक्रम समन्वयकों और अन्य को सहायता" – ₹931000.00 लाख के मूल प्रावधान को दिसम्बर, 2021 में ₹565000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹1496000.00 लाख तक बढ़ा दिया गया था, जो, तथापि, ₹118789.01 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(ख) "जनजातिय क्षेत्र उप–योजना – जिला ग्रामीण विकास एजेंसीज/जिला कार्यक्रम समन्वयकों/अन्य को सहायता" – ₹833000.00 लाख के मूल प्रावधान को दिसम्बर, 2021 में ₹437500.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹1270500.00 लाख तक बढ़ा दिया गया था जो, तथापि, ₹10332.94 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "2505" - "Rural Employment Guarantee Schemes" -

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Assistance to District Rural Development Agencies/District Programme Coordinators and Others" - the original provision of ₹931000.00 lakhs was augmented to ₹1496000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹565000.00 lakhs in December, 2021 which, however, re-mained unutilized to the extent of ₹118789.01 lakhs; and

(b) "Tribal Area Sub-Plan - Assistance to District Rural Development Agencies/District Programme Coordinators and Others" - the original provision of ₹833000.00 lakhs was augmented to ₹1270500.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹437500.00 lakhs in December, 2021 which, however, remained unutilized to the extent of ₹10332.94 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से एफटीओ की प्राप्ति न होने/प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2235" के अंतर्गत – "सामाजिक कल्याण–वृद्ध, अशक्त और निराश्रित कल्याण– राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹2200.72 लाख की बचत (₹2200.79 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कमी के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2501" के अंतर्गत – "स्व रोजगार कार्यक्रम – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुईः–

(का) "आजीविका – कार्यक्रम संघटक" – ₹13983.92 लाख की बचत (₹198267.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से नवाचार परियोजनाओं के लिए कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने, कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन और कोविड–19 महामारी के कारण जारी गतिविधियों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(खा) "आजीविका–ईएपी संघटक" – ₹2636.10 लाख की बचत (₹5500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से राज्यों से नवाचार परियोजनाओं के लिए कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(गा) "प्रबंधन सहायता" – ₹3827.62 लाख की बचत (₹6900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और कम प्रशिक्षण कार्यक्रम/सम्मेलन/कार्यशालाएं, सरस आजीविका मेले आयोजित होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2505" के अंतर्गत – "ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता" – ₹39938.13 लाख की बचत (₹40000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to non-receipt of Fund Transfer Orders/less receipt of proposals from State Governments.

(III) Under Major Head "2235" – "Social Welfare – Welfare of aged, infirm and destitute –National Social Assistance Programme" – saving of ₹2200.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2200.79 lakhs) was due to receipt of less proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) Under Major Head "2501" – "Self Employment Programme – National Rural Livelihood Mission" – savings occurred under the following heads: -

(A) "Aajeevika – Programme Component" - saving of ₹13983.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 198267.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for Innovative Projects from the States, conduction of less training programmes and requirement of less funds towards ongoing activities owing to COVID-19 pandemic.

(B) "Aajeevika – EAP Component" - saving of ₹2636.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 5500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for innovative projects from the States owing to COVID-19 pandemic.

(C) "Management Support" - saving of ₹3827.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 6900.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and conduction of less trainings/ conferences/workshops, SARAS Aajeevika melas owing to COVID-19 pandemic;

(V) Under Major Head "2505" - "Rural Employment Guarantee Schemes - National Rural Employment Guarantee Scheme - Capacity Building and Technical Support" – saving of ₹39938.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the State Governments.

(VI) मुख्य शीर्ष "2515" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुई:–

(का) "प्रशिक्षण – राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान" – ₹612.00 लाख की बचत (₹11160.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) "अन्य व्यय" –

(क) "ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और जिला आयोजन प्रक्रिया का सदृढ़ीकरण" – ₹25510.54 लाख की बचत (₹35245.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(ख) "रुरबन मिशन" – ₹9391.74 लाख की बचत (₹9502.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण थी।

(VII) मुख्य शीर्ष "3054" – "जिला और अन्य सड़कें – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी को सहायता" – के अंतर्गत ₹799.21 लाख की बचत (मार्च, 2022 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4592.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी से कम मांग की प्राप्ति के कारण हुई।

(VIII) मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाएं" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुई:–

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा" –

(VI) Under Major Head "2515" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Training - Grants to National Institute of Rural Development" - saving of ₹612.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11160.00 lakhs); and

(B) "Other Expenditure" -

(a) "Management Support to Rural Development Programmes and Strengthening District Planning Process"- saving of ₹25510.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35245.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals.

(b) "RURBAN Mission" - saving of ₹9391.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9502.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from States/Union territories.

(VII) Under Major Head "3054" - "District and Other Roads – Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - Assistance to National Rural Roads Development Agency" - saving of ₹799.21 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4592.00 lakhs including token supplementary grant ₹1.00 lakh obtained in March, 2022) was due to receipt of less demand from National Rural Infrastructure Development Agency.

(VIII) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Central Assistance/Share" –

(क) "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹18265.74 लाख की बचत (₹579767.80 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹97264.91 लाख की बचत (₹421055.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और राज्यों द्वारा एकल नोडल एजेंसी प्रक्रिया का अनुपालन न होने के कारण हुई।

(ग) "श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन" – ₹26097.83 लाख की बचत (₹40998.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(खा) "बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹31221.24 लाख की बचत (₹71889.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(क) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹67845.65 लाख की बचत (₹298341.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्यों में एकल नोडल एजेंसी प्रक्रिया की शुरूआत, नए दिशा–निर्देशों के अनुसार किशतों में निधियां जारी करना और राज्य कोषागार से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन स्कीम को निधियां जारी करने में देरी के कारण हुईं।

(a) "National Social Assistance Programme" - saving of ₹18265.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹579767.80 lakhs) was due to receipt of less proposals from States.

(b) "National Rural Livelihood Mission" - saving of ₹97264.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹421055.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from States and non-compliance of Single Nodal Agency procedure by the States.

(c) "Shyama Prasad Mukherjee RURBAN Mission" – saving of ₹26097.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40998.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the States/Union Territories.

(B) "Externally Aided Projects - Grants for Centrally Sponsored Schemes - National Rural Livelihood Mission" - saving of ₹31221.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹71889.00 lakhs); and

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "National Rural Livelihood Mission" - saving of ₹67845.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹298341.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to introduction of Single Nodal Agency procedure in States, release of funds in tranches as per new guidelines and delay in release of funds from state treasury to State Rural Livelihood Mission Scheme.

(ख) "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹1453.15 लाख की बचत (₹160767.49 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(b) "National Social Assistance Programme" - saving of ₹1453.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹160767.49 lakhs) was due to receipt of less proposals from States.

(गा) "जनजातिय क्षेत्र उप–योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹67551.71 लाख की बचत (₹208137.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों में एकल नोडल एजेंसी प्रक्रिया की शरुआत, नए दिशा–निर्देशों के अनुसार किश्तों में निधियां जारी करना और राज्य कोषागार से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन स्कीम को निधियां जारी करने में देरी के कारण हुई।

(D) "Tribal Area Sub-Plan - National Rural Livelihood Mission" - saving of ₹67551.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹208137.00 lakhs) was due to introduction of Single Nodal Agency procedure in States, release of funds in tranches as per new guidelines and delay in release of funds from state treasury to State Rural Livelihood Mission Scheme.

(IX) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय सहायता / हिस्सा" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(IX) Under Major Head "3602" – "Centrally Sponsored Schemes" – savings occurred under the following heads: -

(का) "केन्द्रीय सहायता / हिस्सा" –

(A) "Central Assistance/Share" -

(क) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹3347.15 लाख की बचत (₹9699.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एकल नोडल एजेंसी का अनुपालन न किए जाने , कोविड–19 महामारी की वजह से किश्तों में निधियां जारी होना और राज्य कोषागार से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन स्कीम को निधियों के जारी होने में देरी के कारण हुई।

(a) "National Rural Livelihood Mission" - saving of ₹3347.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9699.50 lakhs) was due to receipt of less proposals, non-compliance of Single Nodal Agency by UTs, release of funds in tranches owing to COVID-19 pandemic and delay in release of funds by State Treasuries to State Rural Livelihood Mission Scheme.

(ख) "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" – ₹12632.18 लाख की बचत (जुलाई, 2021 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹22156.42 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(b) "Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme" - saving of ₹12632.18 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹22156.42 lakhs including token supplementary of grant of ₹1.00 lakh obtained in July, 2021) was due to receipt of less proposals from Union Territories.

(ग) "दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयूजीकेवाई)" – ₹5008.02 लाख की बचत (₹5100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से राज्यों में प्रशिक्षण केन्द्रों की प्रचलनात्मक क्षमता में कमी के कारण हुई।

(c) "Deen Dayal Upadhaya Gramin Kaushalya Yojana (DDUGKY)" - saving of ₹5008.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5100.00 lakhs) was due to reduced operational capacity of training centers in States owing to COVID-19 pandemic.

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes" –

(क) "प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण" – ₹3180.49 लाख की बचत (₹3800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(a) "Pradhan Mantri Awas Yojana – Rural" - saving of ₹3180.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3800.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Union Territories.

(ख) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹1213.51 लाख की बचत (₹4554.01 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों में एकल नोडल एजेंसी प्रक्रिया की शुरूआत होने, नए दिशा–निर्देशों के अनुसार किश्तों में निधियां जारी करना और राज्य कोषागार से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन स्कीम को निधियों के जारी होने में देरी के कारण हुई।

(b) "National Rural Livelihood Mission" - saving of ₹1213.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4554.01 lakhs) was due to introduction of Single Nodal Agency procedure in States, release of funds in tranches as per new guidelines and delay in release of funds from state treasury to State Rural Livelihood Mission Scheme.

(ग) "दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयूजीकेवाई)" – ₹2856.68 लाख की बचत (₹2905.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से स्कीम/कार्यक्रमों की धीमी प्रगति के कारण हुई।

(c) "Deendayal Dayal Upadhaya Gramin Kaushalya Yojana (DDUGKY)" - saving of ₹2856.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2905.00 lakhs) was due to slow progress of scheme/programmes owing to COVID-19 pandemic.

(गा) "जनजातिय क्षेत्र उप–योजना" –

(C) "Tribal Area Sub Plan" -

(क) "प्रधानमंत्री आवास योजना" – ₹3376.92 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(a) "Pradhan Mantri Awas Yojana" - saving of ₹3376.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Union Territories.

(ख) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹2740.46 लाख की बचत (₹5075.49 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों में एकल नोडल एजेंसी प्रक्रिया की शुरूआत होने, नए दिशा–निर्देशों के अनुसार किश्तों में निधियां जारी करना और राज्य कोषागार से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन स्कीम को निधियों के जारी होने में देरी होने के कारण हुई।

(b) "National Rural Livelihood Mission" - saving of ₹2740.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5075.49 lakhs) was due to introduction of Single Nodal Agency procedure in States, release of funds in tranches as per new guidelines and delay in release of funds from state treasury to State Rural Livelihood Mission Scheme.

(X) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹287.56 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 36 प्रतिशत है।

(X) Under one head saving of ₹287.56 lakhs occurred constituting 36 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹279055.02 लाख) प्रयुक्त की गईं, जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत जुलाई, 2021 और दिसम्बर, 2021 में ₹4503901.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹279055.02 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grants of ₹4503901.00 lakhs in July, 2021 and December, 2021 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – ग्रामीण विकास विभाग" – ₹1905.55 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1904.41 लाख था।

(A) "Major Head "3451" – "Secretariat - Department of Rural Development" - ₹1905.55 lakhs. Actual excess, however, was ₹1904.41 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2505" – "ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" –

(B) Major Head "2505" - "Rural Employment Guarantee Schemes - National Rural Employment Guarantee Scheme" -

(क) "जिला ग्रामीण विकास एजेंसी / जिला कार्यक्रम समन्वयकों और अन्य को सहायता" – ₹276195.04 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹268153.98 लाख था।

(a) "Assistance to District Rural Development Agencies/District Programme Coordinators and Others" - ₹276195.04 lakhs. Actual excess, however, was ₹268153.98 lakhs.

(ख) "विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय" – 954.43 लाख।

(b) "Expenditure in Union Territories without Legislature" - ₹954.43 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित की गई।

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2505" – "ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना –

(A) Major Head "2505" - "Rural Employment Guarantee Schemes" –

(क) "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मजदूरी संवितरण के लिए सेवा शुल्क" – ₹8449.00 लाख से अधिक व्यय (₹50000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेवा शुल्क/बिलों के निपटान हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ख) "आरक्षित निधि में अंतरण – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि में अंतरण" – ₹46784.55 लाख से अधिक व्यय (दिसम्बर, 2021 में प्राप्त ₹2500000.00 लाख के अनुपूरक अनुदान सहित ₹9800000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि में अंतरण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय हुआ:–

(क) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा" –

(i) "प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण " – ₹183226.72 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2022 में प्राप्त ₹835300.00 लाख के अनुपूरक अनुदान सहित ₹1564968.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को मुख्य शीर्ष "2552" से निधियों के पुनर्विनियोग और लंबित देयताओं के निस्तारण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ था।

(ii) "महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना" – ₹253027.44 लाख का अधिक व्यय (दिसम्बर, 2021 में प्राप्त ₹200000.00 लाख के अनुपूरक अनुदान सहित ₹2279814.58 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबित देयताओं के निस्तारण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ था।

(a) "National Rural Employment Guarantee Scheme - Service Charges for wage disbursement" - excess of ₹8449.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of service charges/bills.

(b) "Transfer to Reserve fund – Transfer to National Rural Employment Guarantee Fund" – excess of ₹46784.55 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9800000.00 lakhs including supplementary grant of ₹2500000.00 lakhs obtained in December, 2021) was due to requirement of additional funds towards transfer to National Rural Employment Guarantee fund.

(B) "Major Head "3601" – "Centrally Sponsored Schemes" - excess occurred under the following heads:-

(a) "Central Assistance/Share" -

(i) "Pradhan Mantri Awaas Yojana-Rural" - excess of ₹183226.72 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1564968.00 lakhs including supplementary grant of ₹835300.00 lakhs obtained in March, 2022) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending proposals and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation of projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme" - excess of ₹253027.44 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2279814.58 lakhs including supplementary grant of ₹200000.00 lakhs obtained in December, 2021) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending liabilities.

(iii) "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" – ₹15580.50 लाख का अधिक व्यय (₹1179718.04 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को मुख्य शीर्ष "2552" से निधियों के पुनर्विनियोग के कारण हुआ।

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण" – ₹36686.16 लाख का अधिक व्यय (₹453198.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों के अनुमोदन के कारण राज्यों द्वारा अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण था।

(ग) "जनजातिय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण" – ₹80054.96 लाख का अधिक व्यय (₹293248.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों में मुख्य शीर्ष "2552" से निधियों के पुनर्विनियोग और राज्यों द्वारा अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण था।

(ii) "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹5868.64 लाख का अधिक व्यय (₹78464.09 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(घ) "आरक्षित निधियों को अंतरण – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (पीएमएवाई–जी)" – ₹195000.000 लाख का अधिक व्यय (₹1476114.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(iii) "Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana" - excess of ₹15580.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1179718.04 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation of projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim;

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Awaas Yojana -Rural" - excess of ₹36686.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹453198.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by States owing to approval of proposals.

(c) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Pradhan Mantri Awaas Yojana-Rural" - excess of ₹80054.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹293248.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by States and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation of projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "National Social Assistance Programme" - excess of ₹5868.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹78464.09 lakhs); and

(d) "Transfer to Reserve Fund - Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (PMAY-G)" - excess of ₹195000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1476114.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के तहत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के उपयोग हेतु कार्यात्मक शीर्षों को मुख्य शीर्ष "2552" से निधियों के पुनर्विनियोग के कारण था।

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा" – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय हुआ।

(क) "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹3314.82 लाख का अधिक व्यय (₹6078.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबित देयताओं के निस्तारण हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता और एनएसएपी पोर्टल पर लाभार्थियों की डिजीटल संख्या में वृद्धि के कारण था।

(ख) "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" – ₹34000.00 लाख का अधिक व्यय (₹99999.96 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जम्मू एवं कश्मीर और पुदुचेरी के संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्कीम के क्रियान्वयन हेतु निर्माण गतिविधि की गति में वृद्धि के कारण था।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधिः–

इस निधि की स्थापना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा तथा निर्धारित की गई शर्तों और सीमाओं के अनुसार उपयोग करने के लिए की गई थी। इस निधि में धनराशि अनुदानों या कर्जों के माध्यम से जिसे केंद्र सरकार आवश्यक समझे, संसद द्वारा इस संबंध में कानून द्वारा उपयुक्त विनियोगजन करके, जमा की जाती है।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation of projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) Major Head "3602" – "Centrally Sponsored Schemes – Central Assistance/Share" - excess occurred under the following heads: -

(a) "National Social Assistance Programme" - excess of ₹3314.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6078.10 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending liabilities and increase in digitized number of beneficiaries on NSAP Portal.

(b) "Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana" - excess of ₹34000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹99999.96 lakhs) was due to increased pace of construction activity towards implementation of the scheme by Union Territory of Jammu and Kashmir & Puducherry.

3. National Rural Employment Guarantee Fund: -

The Fund was established by notification for the purpose of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 to be utilized in such manner and subject to such conditions and limitations as may be prescribed by the Central Government. The Fund is credited by way of grants or loans such sums of money as the Central Government may consider necessary, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf.

वर्ष 2021–22 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:–

The Account of the Fund for 2021-22 was as follows:-

(हजार रुपयों में)

(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	-1
प्राप्तिया	Receipts	98467,84,55
अदायगियां	Payments	98467,84,56
अंतशेष	Closing Balance	-2